न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

संख्या प्रार्थना पत्र –118 / 2025

अनवान

1. छोटूलाल पुत्र देवीलाल, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झरझनी, थाना व तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान मों नं 9587640445
2. शोभाराम पुत्र देवीलाल, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झरझनी, थाना व तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान मो नं 9587640445, 5784699230

– प्रार्थी

बनाम

श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा।

प्रतिवादी / विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री एच.एन.शर्मा प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 06.04.2026

प्रार्थीगण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खाते व स्वामित्व कि कृषि आराजीयात ग्राम केलूखेड़ी, प०ह० बडौदिया, भू०अ०नि०क्षेत्र बडौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान की खाता संख्या नया 63, पुराना 51 की खसरा संख्या 15 कुल किता 01, कुल क्षेत्रफल 1.2200 हैक्टर स्थित है, श्रीमान की जानकारी हेतू जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की नकल साथ में संलग्न है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात जरिये विकय पत्र आराजी कीमतन 2,30,000 / –रू० मे दिनांक 16.05.2017 को मोहनपुरी पुत्र नंदापुरी जाति गुसाई, निवासी झरझनी से खरीद की थी, किंतु उक्त बेचाननामे मे सहवन से हम प्रार्थीगण की जाति अहीर अंकन हो गई, जिसके कारण जमाबंदी मे हम प्रार्थीगण की जाति अहीर (यादव) का अंकन हो गया है जबकि हम दोनो प्रार्थीगण छोटूलाल व शोभाराम जाति से गुर्जर है, जो कि प्रार्थीगण के राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड मे हम प्रार्थीगण की जाति गुर्जर अंकित है तथा प्रार्थीगण जाति से गुर्जर ही है, किन्तु उक्त आराजीयात के जमाबंदी में हम प्रार्थीगण के नाम के पीछे जाति अहीर (यादव) का अंकन हो गया है, जिसके कारण बैंक से उक्त आराजीयात पर लोन लेने तथा खाद बीज तथा राज्य व केन्द्रीय सरकार की योजनाओ का लाभ तथा अनुदान राशिया लेने में हम प्रार्थीगण को परेशानियां आ रही है, उक्त अशुद्धि के कारण वंचित हो रहे है, इसलिए उक्त खाते मे प्रार्थीगण अपनी जाति जो की अहीर (यादव) अंकन हो गई है उसे शुद्धिकरण कराकर जाति गुर्जर अंकित कराना चाहते है जिसके कारण ही इंन्द्राज दुरूस्ती का यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अंत में प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम केलूखेड़ी, प०ह० बडौदिया, भू०अ०नि०क्षेत्र बडौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान कि खाता संख्या नया 63, पुराना 51, की खसरा संख्या 15 कुल किता 01, कुल क्षेत्रफल 1.2200 हैक्टर में प्रार्थीगण की जाति गुर्जर अंकन किये जाने का आदेश प्रदान करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में वांछित रिपोर्ट दिनांक 18.03.2026 से पेश की गई। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार ग्राम केलूखेडी प0ह0 बडोदिया की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 के अनुसार खाता संख्या 63 आराजी संख्या 15 कुल रकबा 1.22 है0 भूमि खातेदार छोटूलाल एवं शोभाराम पुत्र देवीलाल जाति अहिर (यादव) निवासी झरझनी के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 125 दिनांक 19.07.2018 द्वारा खातेदारी उनके नाम दर्ज की गई। उक्त नामान्तरण में प्रार्थीगण की जाति अहिर (यादव) अंकित हो गई है, जबकि प्रार्थीगण के आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में उनकी जाति गुर्जर अंकित है। साथ ही, ग्राम झरझनी प0ह0 झरझनी की जमाबंदी में खाता संख्या 398 आराजी संख्या 806 रकबा 2.55है0 भूमि में प्रार्थीगण की जाति गुर्जर अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि राजस्व अभिलेखों में जाति अंकन में विसंगति है। वाद पत्र का बिन्दु संख्या 3 माननीय न्यायालय के विचाराधीन विषय है, अतः इस पर अभिमत प्रस्तुत किया जाना न्यायालयाधीन है। संबंधित विक्रय पत्र क्रमांक 2017000306 में भी प्रार्थीगण की जाति अहिर अंकित है, जिससे यह स्पष्ट है कि मूल पंजीकृत दस्तावेज में ही जाति अंकन त्रृटिपूर्ण है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की जाति संबंधी त्रृटि मूल पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकित होने के कारण राजस्व अभिलेखों में परिलक्षित हुई है। पंजीकृत दस्तावेज में संशोधन/शुद्धि हेतु विधि अनुसार उप पंजीयक कार्यालय में शुद्धि करवाना आवश्यक है, जिसमें नियमानुसार पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क देय होता है जिससे राजकीय राजस्व की भी प्राप्ति सुनिश्चित होगी। अंत में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को निर्देशित किया जावे कि वे उपपंजीयक भैंसरोडगढ कार्यालय के माध्यम से पंजीकृत विक्रय पत्र में विधिसम्मत शुद्धि करवाएं, तत्पश्चात राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किया जाना न्यायोचित होगा।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट का पेश कर बहस के दौरान निवेदन किया गया है कि ग्राम केलूखेड़ी, प०ह० बडौदिया, भू०अ०नि०क्षेत्र बडौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान कि खाता संख्या नया 63, पुराना 51, कि खसरा संख्या 15 कुल किता 01, कुल क्षेत्रफल 1.2200 हैक्टर स्थित है. है, श्रीमान की जानकारी हेतू जमाबंदी सम्तव् 2076–2079 कि नकल साथ में संलग्न है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात जरिये विक्रय पत्र आराजी कीमतन 2,30,000/–रू० मे दिनांक 16.05.2017 को मोहनपुरी पुत्र नंदापुरी जाति गुसाई, निवासी झरझनी से खरीद की थी, किंतु उक्त बेचाननामे मे सहवन से हम प्रार्थीगण की जाति अहीर अंकन हो गई, जिसके कारण जमाबंदी मे हम प्रार्थीगण की जाति अहीर (यादव) का अंकन हो गया है जबकि हम दोनो प्रार्थीगण छोटूलाल व शोभाराम जाति से गुर्जर है। अतः प्रार्थीगण की जाति अहिर (यादव) के स्थान पर जाति गुर्जर अंकित की जाए। इसके विपरित अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब व प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रार्थीगण के कथनों की पुष्टि नहीं होती है।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण छोटूलाल एवं शोभाराम द्वारा धारा 136, Rajasthan Land Revenue Act, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निवेदन किया गया है कि ग्राम केलूखेड़ी, प०ह० बडौदिया, भू०अ०नि० क्षेत्र बडौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ स्थित खाता संख्या नया 63, पुराना 51, खसरा संख्या 15, रकबा 1.2200 हैक्टेयर भूमि के संबंध में जमाबंदी में अंकित प्रार्थीगण की जाति "अहीर (यादव)" के स्थान पर "गुर्जर" अंकित की जाए। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि उन्होंने दिनांक 16.05.2017 को मोहनपुरी पुत्र नंदापुरी, जाति गुसाई, निवासी झरझनी से विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी, किंतु विक्रय पत्र में सहवन से उनकी जाति "अहीर" अंकित हो गई, जिसके आधार पर जमाबंदी में भी उक्त प्रविष्टि हो गई है। अभिलेखों का सूक्ष्म परीक्षण करने पर यह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि राजस्व अभिलेख (जमाबंदी) में अंकित जाति का स्रोत मूलतः पंजीकृत विक्रय पत्र (Registered Sale Deed) है। अतः त्रुटि का मूल कारण स्वयं पंजीयन पत्र में विद्यमान है, न कि राजस्व अभिलेखों में की गई कोई स्वतंत्र प्रविष्टि। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि राजस्व अभिलेख मूल अधिकारों के सृजन का दस्तावेज नहीं होते, अपितु वे केवल अभिलेखी (recording) प्रकृति के होते हैं, तथा वे मूल दस्तावेजों (title documents) के अधीन होते हैं। जब मूल दस्तावेज (विक्रय पत्र) में ही त्रुटि विद्यमान हो, तब मात्र राजस्व अभिलेखों में संशोधन कर देना विधिसम्मत नहीं है। धारा 136, Rajasthan Land Revenue Act, 1956 का क्षेत्राधिकार केवल राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों के सुधार/नामांतरण तक सीमित है। यह धारा पंजीकृत दस्तावेजों (Registered Instruments) में संशोधन/परिवर्तन का अधिकार प्रदान नहीं करती। पंजीयन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन केवल सक्षम पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष " Rectification Deed (सुधार विलेख)" के निष्पादन एवं पंजीयन के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायालयों द्वारा भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ विवाद का मूल कारण पंजीकृत दस्तावेज में निहित हो, वहाँ राजस्व न्यायालयों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, तथा पक्षकारों को विधि द्वारा निर्धारित उचित मंच (competent authority) के समक्ष ही राहत प्राप्त करनी चाहिए। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रस्तुत वाद क्षेत्राधिकार के अभाव (Lack of Jurisdiction) के कारण विचारणीय नहीं है।

:—आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर, प्रार्थीगण द्वारा धारा 136, Rajasthan Land Revenue Act, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत वाद अस्वीकार/खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे विधि अनुसार सक्षम पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष विक्रय पत्र में संशोधन हेतु "Rectification Deed" निष्पादित कराएं तथा तत्पश्चात राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें।

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official